



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित किया गया : 07.04.2025

निर्णय पारित किया गया:08.05.2025

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 293/2025

भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक कंपनी, एल्यूमीनियम सदन, कोर 6, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003, भारत में पंजीकृत कार्यालय, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा पावर ऑफ अटॉर्नी धारक श्री सौम्या बनर्जी पिता स्वर्गीय इंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा आयु 42 वर्ष, एसोसिएट जनरल मैनेजर, लीगल बाल्को, बाल्को नगर कोरबा छत्तीसगढ़

---आवेदक (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य , प्रभारी अधिकारी/अन्वेषण अधिकारी के द्वारा ,पुलिस थाना बालको नगर कोरबा छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 305/2025

गैनन डंकर्ले एंड कंपनी लिमिटेड, मुख्यालय मुंबई में, पंजीकृत कार्यालय का पता - न्यू एक्सेलसियर बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, ए. के. नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400001, इसके प्रबंधक- विधिक सी.ई.डी., नई दिल्ली डिवीजन के द्वारा , अर्थात् ठाकुर विश्वरंजन कुमार सिन्हा, उम्र लगभग 49 वर्ष, पिता ठाकुर मनोरंजन कुमार सिन्हा, निवासी आर.जेड.-48, सिंडिकेट एन्क्लेव, नई दिल्ली - 110045

---आवेदक (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य ,पुलिस थाना के द्वारा, बाल्को, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी



दांडिक पुनरीक्षण संख्या 318/2025

ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (बीवीआईएल) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी।पंजीकृत कार्यालय-72, बिजनेस पार्क, ग्राउंड फ्लोर, मारोल औद्योगिक क्षेत्र, क्रॉस रोड, सी, मिडसी, और-हेरी (पूर्व), मुंबई शहर, मुंबई-400093, महाराष्ट्र, भारत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मनोज कुमार नायर (वर्तमान में आवेदक कंपनी में छत्तीसगढ़ निवासी व्यवसायी), एपिता स्वर्गीय श्री निवासी. एन. मुराद-हरन नायर, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी ब्लॉक नं. एच-1, फ्लैट नंबर 1, चौहान टाउन, जुनवानी, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

---आवेदक (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना गृह अधिकारी/अन्वेषण अधिकारी के द्वारा , पुलिस थाना बाल्को नगर, जिला कोरबा, छ.ग.

-----उत्तरवादी

दांडिक पुनरीक्षण संख्या 293/2025

अपीलार्थी हेतु :श्री दयान कृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री अभिषेक सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री घनश्याम पटेल, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्री प्रफुल्ल एन. भरत, महाधिवक्ता श्री आर. एस. मार्हास, अतिरिक्त महाधिवक्ता

दांडिक पुनरीक्षण संख्या 305/2025

अपीलार्थी हेतु :श्री अंशुल तिवारी के साथ श्री सुनील ओटवानी, अधिवक्तागण

उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्री प्रफुल्ल एन. भरत, महाधिवक्ता श्री आर. एस. मार्हास, अतिरिक्त महाधिवक्ता

दांडिक पुनरीक्षण संख्या 318/2025



अपीलार्थी हेतु :श्री किशोर भादुड़ी, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्री प्रफुल्ल एन. भरत, महाधिवक्ता श्री आर. एस.मार्हास, अतिरिक्त महाधिवक्ता

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

सी.ए.वी निर्णय

1. चूंकि सभी दांडिक पुनरीक्षणों में आक्षेपित आदेश और तथ्य समान हैं, इसलिए इन पुनरीक्षणों का निराकरण इस सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है।
2. विद्वान विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 26/2010 में पारित दिनांक 21.02.2025 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध आवेदकों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 438 एवं 442 के अंतर्गत वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाल्को, एसईपीसीओ, जीडीसीएल, बीवीआईएल एवं डीसीपीएल कम्पनियों को अभियुक्त के रूप में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था तथा उनके प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से सम्मन जारी किए गए थे।
3. संक्षेप में तथ्य यह है कि 23.09.2009 को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने से चिमनी 1 के ढह जाने की दुखद घटना घटी, जिसके परिणामस्वरूप 40 श्रमिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई और उस समय निर्माण स्थल पर काम कर रहे कई कर्मचारी घायल हो गए।उपरोक्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना के अनुसरण में दिनांक 25.09.2009 को पुलिस थाना बाल्को नगर के पुलिस अधिकारियों द्वारा धारा 304/34 के अंतर्गत बाल्को प्रबंधन और जीडीसीएल के अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर क्रमांक 377/2009 दर्ज किया गया था।अन्वेषण के पश्चात् , दिनांक 04.01.2010 को एक आरोप-पत्र और दिनांक 08.04.2010 को एक अनुपूरक आरोप-पत्र विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष 17 अभियुक्तगण के द्वारा दायर किया गया था, जिसमें आवेदकों के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों सहित परियोजना प्रमुख (अभियुक्त संख्या 2 विरल मेहता) जो परियोजनाओं के उपाध्यक्ष भी थे, श्री दीपक नारंग और श्री महापात्रे, जिन पर बाल्को की ओर से निर्माण की देखरेख करने का आरोप है, को अभियुक्त बनाया गया है।बाल्को के अधिकारियों के अलावा, चिमनी का निर्माण कर रहे ईपीसी ठेकेदार एसईपीसीओ और जीडीसीएल के अन्य अधिकारियों को भी आरोप-पत्र दाखिल किया गया है और वे इस आधार पर वाद का सामना कर रहे हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था और निर्माणाधीन चिमनी में तकनीकी खराबी थी जिसके कारण चिमनी ढह गई। संबंधित अधिकारियों को घटिया सामग्री के इस्तेमाल की जानकारी थी, इसलिए अभियुक्तगण के विरुद्ध वाद चलाने के लिए धारा 304 के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया गया था।अतः, विद्वान संयुक्त वित्तीय आयुक्त, कोरबा, जिला कोरबा



द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 78/2010 कायम किया गया है और अब यह विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, कोरबा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) के समक्ष एस.टी. क्रमांक 26/2010 शीर्षक "छत्तीसगढ़ राज्य बनाम मनोज शर्मा एवं अन्य" के तहत लंबित है।

4. तत्पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.06.2013 के तहत अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304/34 के तहत आरोप-पत्र तैयार किया गया था। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा पारित दिनांक 15.04.2013 और 19.06.2013 के दोनों आदेशों से व्यथित होकर, दं. प्र. सं. की धारा 482 के तहत याचिकाएं और दं. प्र. सं. की धारा 397/401 के तहत पुनरीक्षण याचिकाएं, अभियुक्तगण द्वारा दायर की गईं और उन्हें खारिज कर दिया गया और सीआरआर संख्या 450/2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2023 के आदेश के तहत आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर विचारण समाप्त करने का निर्देश दिया गया।

5. इसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2023 के अनुपालन में विचारण पुनः शुरू किया गया और 46 साक्षियों की परीक्षा की गई और अन्वेषण अधिकारी विवेक शर्मा (पीडब्लू-46) से अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा की गई और विचारण न्यायालय ने अन्वेषण अधिकारी से कुछ प्रश्न पूछे और उन्होंने निम्नलिखित उत्तर दिए:---

न्यायालय द्वारा परीक्षण :-

प्र० क्र०-01 दुर्घटनाग्रस्त चिमनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा एवं किसके स्वामित्व परिसर में करवाया जा रहा था ?

उत्तर बालको कंपनी द्वारा एक **EPC (Erection Procurement Commission-ing)** कांट्रैक्ट के तहत बालको कंपनी के स्वामित्व के परिसर में सेपको कंपनी को 1200 मेगा वाट के पावर प्लांट निर्माण का ठेका दिया गया था, जिसमें चिमनी का निर्माण भी सम्मिलित था।

प्र० क्र०-02 बालको कंपनी द्वारा चिमनी का डिजाईन किस कंपनी से तैयार करवाया गया था ?

उत्तर:- चिमनी का डिजाईन सेपको कंपनी द्वारा **GDCL** कंपनी से तैयार करवाया था।

प्र० क्र०-03 बालको कंपनी द्वारा चिमनी के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया था?

उत्तर :- बालको कंपनी द्वारा एक **EPC (Erection Procurement Commission-ing)** कांट्रैक्ट के तहत बालको कंपनी के स्वामित्व के परिसर में सेपको कंपनी को 1200 मेगा वाट के पावर प्लांट निर्माण का ठेका दिया गया था, जिसमें चिमनी का निर्माण भी सम्मिलित था।



प्र०क्र०-04 उक्त ठेकेदार सेप्को/**SEPCO** कंपनी द्वारा चिमनी के निर्माण का उप ठेका (**sub contract**) किस कंपनी को दिया गया था ? उत्तर :- ठेकेदार सेप्को / **SEPCO** कंपनी द्वारा चिमनी के निर्माण का उप ठेका (**sub contract**) **GDCL** कंपनी को दिया गया था।

प्र०क्र०-05 चिमनी के निर्माण में **GDCL** कंपनी को क्या कार्य करना था ?

उत्तर :- **GDCL** कंपनी को चिमनी का निर्माण ड्राइंग डिजाइन के तकनीकी पैरामीटर के अनुसार निर्माण करना था।

प्र०क्र०-06 चिमनी के निर्माण में **BVIL** कंपनी एवं **DCPL** कंपनी को क्या कार्य करना था ?

उत्तर :- बालको कंपनी द्वारा **BVIL** कंपनी एवं **DCPL** कंपनी को प्रोजेक्ट की क्वा. लिटी एवं निर्माण के सुपरविजन के लिए थर्ड पार्टी कंपनी के तौर पर अनुबंधित किया गया था।

प्र०क्र०-07 क्या निर्माणधिन / दुर्घटनाग्रस्त चिमनी वाला बालको का परिसर नगर निगम कोरबा के क्षेत्रधिकार में आता था ?

उत्तर:- जी यह परिसर नगर निगम कोरबाके क्षेत्रधिकार में आता था।

प्र०क्र०-08 क्या बालको कंपनी द्वारा चिमनी का निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व चिमनी की डिजाइन कोरबा नगर निगम में प्रस्तुत कर अप्रूवल/अनुमति ली गई थी एवं समय-समय पर आवश्यक होने पर नवीनीकरण करवाया गया था ?

उत्तर :- बालको कंपनी द्वारा कोई अप्रूवल/अनुमति नहीं ली गई थी।

प्र०क्र०-09 क्या बालको कंपनी द्वारा चिमनी का निर्माण प्रारी करने से पूर्व फेक्ट्रीस एक्ट के अंतर्गत संबंधित विभाग से अप्रूवल/अनुमति ली गई थी एवं समय-समय पर आवश्यक होने पर नवीनीकरण करवाया गया था ?

उत्तर :- मुझे जानकारी नहीं है।

प्र०क्र०-10 क्या बालको कंपनी द्वारा चिमनी का निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व चिमनी की डिजाइन **Town & Country Planning Department** में प्रस्तुत कर अप्रूवल/अनुमति ली गई थी एवं समय-समय पर आवश्यक होने पर नवीनीकरण करवाया गया था ?

उत्तर :- बालको कंपनी द्वारा कोई अप्रूवल/अनुमति नहीं ली गई थी।

प्र०क्र०-11 क्या बालको कंपनी द्वारा चिमनी का निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 14 के अंतर्गत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अनुमा. देन समिति से **HIGH RISE BUILDING** 'ऊर्चें भवन के निर्माण हेतु अप्रूवल/अनुमति ली गई थी एवं समय-समय पर आवश्यक होने पर नवीनीकरण करवाया गया था ?



उत्तर :- मुझे जानकारी नहीं है।

प्र०क्र०-12 क्या बालको कंपनी द्वारा चिमनी का निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व अन्य किसी नियम कानून के अंतर्गत संबंधित विभागों से अप्रूवल/अनुमति ली गई थी एवं समय-समय पर आवश्यक होने पर नवीनीकरण करवाया गया था ?

उत्तर :- बालको कंपनी द्वारा मेरे समक्ष किसी भी प्रकार के अप्रूवल/अनुमति के दस्तावेज पेश नहीं किए गए।

प्र०क्र०-13 बालको कंपनी द्वारा चिमनी का निर्माण कार्य किस तिथि को प्रारंभ किया गया था एवं किस तिथि को चिमनी दुर्घटनाग्रस्त हुई ?

उत्तर :- चिमनी दिनांक 23.09.2009 को दुर्घटनाग्रस्त हुई थी एवं बालको कंपनी द्वारा लगभग 06 माह पहले इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था।

प्र०क्र०-14 दुर्घटना होने के समय तक चिमनी की ऊंचाई कितनी हो गई थी एवं कितनी दूरी से दिखाई देती थी ?

उत्तर :- दुर्घटना के समय चिमनी की ऊंचाई लगभग 250 मीटर पहुंच गई थी एवं चिमनी कई किलोमीटर से दिखाई देती थी। प्र०क्र०-15 चिमनी गिरने के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं कितने लोग घायल हुए ?

उत्तर :- दुर्घटना के समय चिमनी की ऊंचाई लगभग 250 मीटर पहुंच गई थी एवं चिमनी कई किलोमीटर से दिखाई देती थी।

प्र०क्र०-15 चिमनी गिरने के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं कितने लोग घायल हुए ?

उत्तर :- चिमनी गिरने के कारण 40 लोगों की मृत्यु हुई एवं लगभग 8-10 लोग घायल हुए थे।

प्र०क्र०-16 क्या पीडितों को प्रतिकर प्रदान किया गया, यदि हाँ तो प्रत्येक मृतक के वा. रिसान को कितनी राशि प्रदान की गई थी एवं घायलों को कितनी राशि प्रदान की गई थी एवं प्रतिकर की राशि किसके द्वारा प्रदान की गई थी ?

उत्तर :- मृतकों के परिवारजनों को एवं आहतों को कंपरियों द्वारा प्रतिकर की राशि प्रदान की गई थी, जिसकी राशि मैं नहीं बता सकता।

प्र०क्र०-17 दुर्घटनाग्रस्त चिमनीर के निर्माण कार्य की अवधि में क्या बालको कंपनी के प्रबंध ान द्वारा सभी मानको का पालन करते हुए चिमनी का निर्माण कराया गया एवं क्या उनके द्वारा सभी सुरक्षा मानको का पालन किया गया ?



प्र०क्र०-18 दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में क्या ठेकेदार सेप्लो कंपनी के प्रबंधन द्वारा सभी मानको का पालन करते हुए चिमनी का निर्माण कराया गया एवं क्या उनके द्वारा सभी सुरक्षा मानको का पालन किया गया ?

उत्तर सेप्लो कंपनी द्वारा चिमनी के निर्माणकार्य में तय मानको का पालन नहीं किया

प्र०क्र०-19 दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में क्या उप ठेकेदार जी०डी०सी०एल० कंपनी के प्रबंधन द्वारा सभी मानको का पालन करते हुए चिमनी का निर्माण कराया गया एवं क्या उनके द्वारा सभी सुरक्षा मानको का पालन किया गया ?

उत्तर :- **GDCL** कंपनी द्वारा चिमनी के निर्माणकार्य में तय मानको का पालन नहीं किया गया।

प्र०क्र०-20 क्या चिमनी के निर्माण में बालको कंपनी, सेप्लो कंपनी एवं जी०डी०सी०एल० कंपनी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया एवं लापरवाही की गई ?

उत्तर :- जी हाँ।

प्र०क्र०-21 क्या दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में नगर निगम कोरबा के अधिकारियों द्वारा निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया, यदि निरीक्षण किया गया तो क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर :- मुझे जानकारी नहीं है।

प्र०क्र०-22 क्या दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 4 के अंतर्गत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अनुमोदन समिति के अधिकारियों द्वारा निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया, यदि निरीक्षण किया गया तो क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर :- मुझे जानकारी नहीं है।

प्र०क्र०-23 क्या दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में कोरबा के अग्नि शमन विभाग द्वारा निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया, यदि निरीक्षण किया गया तो क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर :- मुझे जानकारी नहीं है।

प्र०क्र०-24 दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में कोरबा के जिला कलेक्टर कौन थे ?

उत्तर:- उस समय श्री अशोक अग्रवाल जिला कलेक्टर थे।

प्र०क्र०-25 दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में नगर निगम कोरबा के कमिशनर / आयुक्त कौन थे ?

उत्तर :- मुझे याद नहीं है।



प्र०क्र०-26 दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में जिला पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे ?

उत्तर :- मुझे नहीं पता।

प्र०क्र०-27 दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में कोरबा के पुलिस अधीक्षक कौन थे ?

उत्तर :- श्री रतन लाल डांगी उस समय जिला पुलिस अधीक्षक थे।

प्र०क्र०-28 दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) कोरबा के कार्यपालक अभियंता कौन थे ?

उत्तर :- शायद चन्द्राकर साहब थे, पूरा नाम याद नहीं है।

प्र०क्र०-29 दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में कोरबा के अग्नि शमन विभाग के मुख्य अधिकारी कौन थे ?

उत्तर :- मुझे याद नहीं है।

प्र०क्र०-30 दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में सेप्को कंपनी के चेयरमेन, मै. नर्जिंग डायरेक्टर, महाप्रबंधक एवं **CEO** कौन थे ?

उत्तर- मुझे आज याद नहीं है।

प्र०क्र०-31 दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में **GDCL** कंपनी के चेयरमेन, मैनेजिंग डायरेक्टर, महाप्रबंधक एवं **CEO** कौन थे ?

उत्तर :- मुझे आज याद नहीं है।

प्र०क्र०-32 दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में कंपनी के चेयरमेन, **BVIL** कंपनी के चेयरमेन, मैनेजिंग डायरेक्टर, महाप्रबंधक एवं **CEO** कौन थे ?

उत्तर मुझे आज याद नहीं है।

प्र०क्र०-33 दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में **DCPL** कंपनी के चेयरमेन, मैनेजिंग डायरेक्टर, महाप्रबंधक एवं **CEO** कौन थे ?

उत्तर :- मुझे आज याद नहीं है। प्र०क्र०-34 दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में बालको कंपनी के चेयरमेन, मैनेजिंग डायरेक्टर, महाप्रबंधक एवं **CEO** कौन थे ?

उत्तर :- मुझे आज याद नहीं है।



प्र०क्र०-35 आपके द्वारा बालको कंपनी, सेपको **GDCL** कंपनी **BVIL** कंपनी एवं **DCPL** कंपनी को अभियुक्त क्यों नहीं बनाया गया ?

उत्तर :- विवेचना के अनुसार उक्त कंपनियां अभियुक्त नहीं हैं।

प्र०क्र०-36 आपके द्वारा बालको कंपनी सेपको **GDCL** कंपनी **BVIL** कंपनी एवं **DCPL** कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, महाप्रबंधक एवं **CEO** को अभियुक्त क्यों नहीं बनाया गया ?

उत्तर :- विवेचना के अनुसार मैंने उक्त वरिष्ठ अधिकारियों को अभियुक्त होना नहीं पाया था

6. अन्वेषण अधिकारी विवेक शर्मा (पीडब्लू-46) के साक्ष्य के आधार पर, दिनांक 21.02.2025 को न्यायालय ने अपने आदेश में पैराग्राफ 31, 36, 37 और 38 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

31. न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में विवेकक द्वारा यह भी कथन किया गया है कि बालको कंपनी द्वारा उसके समक्ष किसी भी प्रकार के अप्रुवल / अनुमति के दस्तावेज पेश नहीं किये गये थे। बालको कंपनी, सेपको कंपनी, **GDCL** कंपनी, **BVIL** कंपनी एवं **DCPL** द्वारा चिमनी के निर्माणकार्य में तय मानको का पालन नहीं किया गया। चिमनी के निर्माण में बालको कंपनी, सेपको कंपनी एवं जी.डी.सी.एल. कंपनी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया कि उसको नहीं पता है कि दुर्घटनाग्रस्त चिमनी के निर्माण कार्य की अवधि में बालको कंपनी, सेपको कंपनी, **GDCL** कंपनी, **BVIL** कंपनी एवं **DCPL** कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, महाप्रबंधक एवं **CEO** कौन-कौन थे। 36. आश्चर्यजनक रूप से विवेकक द्वारा बालको कंपनी, सेपको कंपनी, **GDCL** कंपनी, **BVIL** कंपनी एवं **DCPL** कंपनी को अभियुक्त नहीं बनाया गया है एवं उक्त कंपनियों के संचालन में सक्रिय रूप से कार्यरत वरिष्ठ अधिकारीगण जैसे कि चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, महाप्रबंधक एवं **CEO** इत्यादि के बारे में जानकारी एकत्रित नहीं की गई है एवं उनको अभियुक्त नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार विवेकक द्वारा शासकीय अधिकारियों के विरुद्ध उनके अवैध लोप के संबंध में साक्ष्य संकलन नहीं किया गया है उनको अभियुक्त नहीं बनाया गया है।

37. अपराधिक न्याय का यह सिद्धांत है कि किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिये एवं कोई भी दोषी व्यक्ति दण्ड से बचना नहीं चाहिये, जैसा कि पीडितों एवं समाज के अधिकारों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **State of Haryana V. Ram Mehar, (2016) 8 SCC 762** में अभिव्यक्त किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में गहन एवं सूक्ष्म जांच की आवश्यकता थी, क्योंकि यह एक ऐसी दुर्घटना है जिसने पूरे समाज एवं देश पर असर डाला है। इसके कारण पूरा समाज आहत हुआ है। इसलिये मृतकों के आश्रितों एवं आहतों के अतिरिक्त पूरा समाज ही पीडित की श्रेणी में आता है। इसलिये न्यायालय का कर्तव्य है कि यदि विवेचना अधिकारी द्वारा सभी लोगों को अभियुक्त नहीं बनाया गया है तो जिन लोगों के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध है उनको अतिरिक्त अभियुक्त बनाते हुये समाज के अधिकारों की रक्षा करें। प्रकरण में अभी भी उपरोक्त कंडिका 35, 36 के संबंध में अतिरिक्त विवेचना की आवश्यकता है। यह भी जांच का विषय है कि विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना में सभी आवश्यक अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य



संकलन क्यो नहीं किया गया एवं क्यो सभी को अभियुक्त नहीं बनाया । क्या विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना में लापरवाही की गई अथवा अज्ञानतावश कार्य किया गया अथवा उसके द्वारा भी अपने शासकीय कर्तव्य का अवैध लोप किया गया ।

38. यह एक औद्योगिक दुर्घटना थी। यहाँ पर **Res Ipsa Loquitur** को सिद्धांत लागू होता है जिसके अनुसार परिस्थितियों स्वयं बोलती है। यह सिद्धांत लापरवाही को अप्रत्यक्ष रूप से साबित करने की अनुमति देता है। "

7. पूरा विवाद्यक दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 319 के इर्द-गिर्द घूमता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 319 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:---

अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति।

(1) जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकेगा जो उसने किया प्रतीत होता है।(2) जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, वहां उसे पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए, मामले की परिस्थितियों के अनुसार गिरफ्तार किया जा सकता है या बुलाया जा सकता है।(3) न्यायालय में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को, यद्यपि वह गिरफ्तार न हो या समन पर न हो, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध की जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा जो उसने किया प्रतीत होता है।(4) जहां न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करता है, वहां - (क) ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से प्रारंभ की जाएगी और साक्षियों की पुनः सुनवाई की जाएगी; (ख) खंड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मामला ऐसे आगे बढ़ सकेगा मानो ऐसा व्यक्ति उस समय अभियुक्त था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर जांच या विचारण प्रारंभ किया गया था।

8. सीआरआर संख्या 293/2025 में आवेदकों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दयान कृष्णन ने तर्क दिया कि पहली बार, आक्षेपित आदेश में, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आवेदक भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अधिकारियों से कुछ आवश्यक अनुमतियां प्राप्त नहीं की गई थीं। अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य या विचारण के दौरान एकत्रित सामग्री नहीं है जो कोरबा नगर निगम और/या नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा दी गई अनुमतियों और दुर्घटना के बीच किसी भी कारणात्मक संबंध का सुझाव दे। यह सुसंगत है क्योंकि सभी आवश्यक अनुमतियों के साथ एक इमारत भी घटिया सामग्री से बनी होने पर ढह सकती है, जबकि अवैध रूप से लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री से बनी एक इमारत नहीं ढहेगी। उन्होंने आगे कहा कि विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रही है कि अन्वेषण अधिकारी ने कहा था कि उन्हें वास्तव में यह जानकारी नहीं थी कि आवेदकों के पास चिमनी निर्माण के लिए विभिन्न आवश्यक अनुमतियां थीं या नहीं और उन्हें आवेदकों से ऐसी अनुमतियां प्राप्त नहीं हुई थीं। वास्तव में, विद्वान विचारण न्यायालय का



ऐसा कोई निष्कर्ष भी नहीं है जो दुर्घटना के कारण से ऐसी कोई भी अनुमति न दिए जाने को जोड़ता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो यह सुझाए कि अनुमोदनों की कथित कमी का घटिया सामग्री/तकनीकी कमियों के उपयोग से कोई कारणात्मक संबंध था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे ही उक्त घटना का कारण बने। विचारण न्यायालय उपरोक्त कमी से अवगत है और इसलिए उसने रेस इप्सा लोकिटर के सिद्धांत पर भरोसा किया है, जिसका दायित्विक वाद से कोई संबंध नहीं है: विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रेस इप्सा लोकिटर के सिद्धांत पर भरोसा किया है कि यह एक औद्योगिक दुर्घटना का मामला था। वास्तव में, इस सिद्धांत पर निर्भरता स्वयं दर्शाती है कि आवेदकों को विचाराधीन घटना से जोड़ने के लिए कोई सामग्री/साक्ष्य नहीं है। हालाँकि, अन्यथा भी, विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि रेस इप्सा लोक्विटर के सिद्धांत का आपराधिक कानून में कोई अनुप्रयोग नहीं है, जहाँ अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाले प्रत्येक आरोप और परिस्थिति को साबित किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून कि रेज इप्सा लॉक्विटर के सिद्धांत का आपराधिक कानून में कोई अनुप्रयोग नहीं है। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने **सैयद अकबर बनाम कर्नाटक राज्य (1980) 1 एससीसी 30 और नंजुंदप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 628** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

9. श्री कृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस मामले में दायर धारा 319 आवेदन से पता चलता है कि ऐसा कोई दावा नहीं है कि आवेदक के खिलाफ कोई नया साक्ष्य दर्ज किया गया है। इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत अभियुक्त को समन करने के लिए आवश्यक साक्ष्य के उच्च मानक को लागू करने में विफल रहा, अर्थात्, यदि विचारण के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है, तो समन किए जाने वाले अभियुक्त को दोषसिद्धि की ओर ले जाएगा। दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत, न्यायालय को यह संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि प्रस्तावित अभियुक्त के खिलाफ दर्ज किए गए साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि की ओर ले जाएगा। विचारण न्यायालय को विचारण में दर्ज साक्ष्यों पर ही भरोसा करना चाहिए और ऐसी सामग्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता जो पहले से ही आरोपपत्र का हिस्सा है। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014 3 एससीसी 92) और हेतराम उर्फ बबली बनाम राजस्थान राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3509** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया।

10. श्री कृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त अपराध के लिए आवेदकों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने में कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व पर विधि को गलत तरीके से लागू किया है और विद्वान विचारण न्यायालय एक कंपनी को विचारण में अभियुक्त के रूप में पेश करने के लिए परीक्षणों को लागू करने में विफल रहा है, अर्थात् इसके मामलों को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति के लिए एक सक्रिय भूमिका निर्धारित की जानी चाहिए। इस मामले में साक्ष्य/सामग्री पूरी तरह से गायब है और न तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री में और न ही आक्षेपित आदेश में संदर्भित सामग्री में पाई जाती है।



इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने सुनील भारती मित्तल बनाम सीबीआई (2015) 4 एससीसी 609) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा नियुक्त अभियुक्त केवल परियोजना स्तर के अधिकारी थे और निश्चित रूप से पूरी कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं रखते थे। वैसे भी, आवेदक 4000 से अधिक कर्मचारियों वाला एक संगठन है, और इसलिए, निदेशक मंडल और कार्यकारी प्रबंधन से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे आवेदकों द्वारा की जा रही प्रत्येक परियोजना के सूक्ष्म विवरणों को जानें। आरोप-पत्र में या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य में, आवेदक के निदेशकों या अन्य उच्च-पदस्थ अधिकारियों की चिमनी के निर्माण में संलिप्तता का पता लगाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। वास्तव में, दायर आरोप-पत्र में आवेदक के परियोजना अधिकारियों पर, जो साइट पर काम कर रहे थे, जिम्मेदारी का आरोप लगाया गया है। इसलिए, विचारण न्यायालय को यह संतुष्ट करने के लिए कोई सामग्री होने का प्रश्न ही नहीं उठता कि यह आवेदकों के प्रबंधन की गतिविधियाँ थीं जिन्होंने विचारणीय घटना में प्रत्यक्ष और अचूक रूप से योगदान दिया। विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के कंडिका 36 में यह टिप्पणी की है कि आवेदकों के प्रबंधन की भूमिका की आगे जाँच आवश्यक है। हालाँकि, प्रधान विचारण न्यायालय ने कंडिका 40 में यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदकों और उनके प्रबंधन को इस विचारण में अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। यदि प्रबंधन की भूमिका की आगे जाँच की आवश्यकता है, तो यह निष्कर्ष दर्ज करने का कोई आधार नहीं है कि उन्हें आरोपी के रूप में बुलाया जाना आवश्यक है, विशेष रूप से दं. प्र. सं. के धारा 319, के तहत। उपर्युक्त कारणों से, आक्षेपित आदेश दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत प्रयोग करने योग्य क्षेत्राधिकार से अधिक है, जो बीएनएसएस की धारा 438 सहपठित धारा 442 के तहत अपास्त किए जाने योग्य क्षेत्राधिकार के दायरे में है।

11. सीआरआर संख्या 305/2025 में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील ओटवानी ने आवेदक-बाल्को के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णन के प्रस्तुतीकरण का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने एसईपीसीओ के साथ टर्नकी संविदा के तहत चिमनी के निर्माण में जीडीसीएल की भागीदारी का आरोप लगाया, हालांकि, मूल एफआईआर (2009) या चार्ट-शीट में जीडीसीएल का नाम नहीं था। 15 वर्षों के बाद, साक्षी संख्या 46 की परीक्षा के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कॉर्पोरेट दोष के "नए साक्ष्य" का दावा करते हुए दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत जीडीसीएल को अभियोग में शामिल करने की मांग की। अन्वेषण अधिकारी की गवाही में यह स्वीकार किया गया कि आरोप-पत्र के चरण में जीडीसीएल के विरुद्ध कोई सामग्री मौजूद नहीं थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत स्थापित विधिक सिद्धांतों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी उदाहरणों की अनदेखी की है। जीडीसीएल के प्रबंधन को आईपीसी की धारा 304 के तहत लापरवाही या मनःस्थिति से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 3 एससीसी 92** के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, न्यायालय को विचारण साक्ष्यों से "प्रथम दृष्टया संतुष्टि से अधिक" होना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध किया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि किसी कंपनी को फंसाने के लिए, अभियोजन पक्ष को उसके निर्देशक दिमाग की सक्रिय भूमिका



साबित करनी होगी। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि बाहरी ताकतों और कई संस्थाओं के बीच साझा ज़िम्मेदारियों से बचने का सिद्धांत लागू होता है, न कि जीडीसीएल की एकमात्र लापरवाही। जीडीसीएल की दोषीता के प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकल्पित अनुमानों पर भरोसा करना, स्थापित विधिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। भा.दं. सं. कि धारा 304 के तहत आपराधिक आरोप, कारण और कारण के अभाव में विफल होने चाहिए। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने **सैयद अकबर बनाम कर्नाटक राज्य (1980) 1 एससीसी 30** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। इसलिए, आक्षेपित आदेश को अपास्त किये जाने योग्य है।

12. सीआरआर संख्या 318/2025 में आवेदक के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी ने उन्हीं तथ्यों पर तर्क दिया है, जो सीआरआर संख्या 293/2025 में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए थे तथा प्रस्तुत किया कि बाल्को के साथ हुए समझौते के अनुसार, बीवीआईएल के पास बाल्को का निरीक्षण करने तथा उस पर टिप्पणियां करने के लिए तीसरे पक्ष की भूमिका बहुत सीमित थी, परंतु उसके पास उसके निर्देशों का पालन करने या कार्य को रोकने के लिए बाध्य करने की कोई शक्ति, अधिकार या नियंत्रण नहीं था। बीवीआईएल एक निर्माण ठेकेदार नहीं है और साइट पर चिमनी या किसी अन्य संरचना के वास्तविक निर्माण में कभी शामिल नहीं रहा। 3 अप्रैल, 2008 के समझौते की शर्तों के अनुसार, इसकी भूमिका केवल तृतीय-पक्ष निरीक्षण सेवाओं तक ही सीमित थी। अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा के प्रश्न संख्या 17, 18 और 19 में, अन्वेषण अधिकारी से पूछा गया था कि क्या बाल्को, एसईपीसीओ और जीडीसीएल द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था। इन महत्वपूर्ण पूछताछों में आवेदक का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अलावा, अन्वेषण अधिकारी की जाँच के प्रश्न संख्या 35 और 36 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अन्वेषण अधिकारी ने साक्ष्यों के आधार पर आवेदक या उसके अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक और सीईओ को अभियुक्त नहीं माना। वास्तव में, बीवीआईएल के कर्मचारियों को शुरू से ही साक्षियों बनाया गया है। बीवीआईएल के संबंध में आक्षेपित आदेश विकृत है। अतः, विद्वान निचली अदालत ने अवैध आदेश पारित किया है और क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि एवं विकृत निष्कर्ष दिया है, जिसे अपास्त किया जाना संभावित है।

13. प्रतिपक्ष, राज्य के विद्वान महाधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन. भरत ने प्रस्तुत किया कि चूँकि इन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों, जो प्रबंधन में शामिल हैं, के नाम उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। हालाँकि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ये कंपनियाँ पक्षकार बन रही हैं और उनके अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से सम्मन जारी किए गए थे। दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करके विचारण न्यायालय द्वारा इस्तेमाल किया गया विवेक कानून के चारों कोनों के भीतर था, ट्रायल कोर्ट का आदेश एक अनुचित आदेश नहीं है और न ही किसी भी सुसंगत सामग्री पर विचार न किया गया है या अभिलेख को गलत तरीके से पढ़ा गया है, इसलिए दं. प्र. सं. की धारा 397 और 401 के तहत सीमित शक्ति के प्रयोग में विवादित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।



14. राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने आगे कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के मात्र अवलोकन से ही पता चल जाएगा कि ऐसी कोई बाधा नहीं है कि उक्त शक्ति का प्रयोग विचारण के अंतिम चरण में नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में यह प्रावधान है कि जब भी किसी जाँच या मुकदमे के दौरान साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने भी कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उस पर एक साथ विचारण चलाया जा सकता है, तो विचारण न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। (2023) 1 एससीसी 289 में दर्ज "सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य" मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित तरीके से कैसे किया जाना चाहिए:---

" 41.1. यदि सक्षम न्यायालय को साक्ष्य मिलता है या दोषमुक्ति या सजा का आदेश पारित करने से पहले मुकदमे के किसी भी चरण में दर्ज साक्ष्य के आधार पर अपराध करने में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत आवेदन दायर किया जाता है, तो वह उस चरण में विचारण को रोक देगा।

41.2. इसके बाद न्यायालय पहले अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने की आवश्यकता या अन्यथा निर्धारित करेगा तथा उस पर आदेश पारित करेगा।

41.3. यदि न्यायालय का निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करना तथा आरोपी को तलब करना है, तो मुख्य मामले में मुकदमे के साथ आगे बढ़ने से पहले ऐसा समन आदेश पारित किया जाएगा।

41.4. यदि अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने का आदेश पारित किया जाता है, तो पारित किए जाने के चरण के आधार पर, न्यायालय इस तथ्य पर भी विचार करेगा कि क्या ऐसे बुलाए गए अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तों के साथ या अलग से विचारण चलाया जाएगा।

41.5. यदि निर्णय संयुक्त विचारण हेतु है, तो समन किए गए अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के पश्चात् ही नए सिरे से व विचारण शुरू किया जाएगा।

41.6. यदि निर्णय यह है कि समन किए गए अभियुक्त पर अलग से विचारण चलाया जा सकता है, तो ऐसा आदेश दिए जाने पर, न्यायालय हेतु उन अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण जारी रखने तथा समाप्त करने में कोई बाधा नहीं होगी जिनके साथ आगे बढ़ रहा था।

41.7. यदि कार्यवाही ऊपर कंडिका 41.1 के अनुसार रुकी हुई है, तो ऐसे मामले में हैं जहां जिन अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया था, उन्हें बरी किया जाना है, तथा निर्णय यह है कि तलब किए गए अभियुक्त पर अलग से नए सिरे से विचारण चलाया जा सकता है, तो मुख्य मामले में दोषमुक्ति का निर्णय पारित करने में कोई बाधा नहीं होगी।



41.8.यदि मुख्य विचारण में उसके समापन तक शक्ति शामिल या प्रयोग नहीं की जाती है तथा यदि कोई विभाजित (द्विभाजित) मामला है, तो प्रभाव में शक्ति, विभाजित (द्विभाजित) मुकदमे में बुलाए जाने वाले अतिरिक्त अभियुक्त की भागीदारी की ओर इशारा करती है।

41.9.यदि, तर्क सुनने के बाद और मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रख लेने के बाद न्यायालय के लिए दं. प्र. सं. कि धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने का अवसर आता है, तो न्यायालय के लिए उचित कदम यह है कि मामले को पुनः सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया जाए।

41.10.पुनः सुनवाई हेतु इसे निर्धारित करने पर, समन के बारे में निर्णय लेने हेतु उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया; संयुक्त परीक्षण या अन्यथा आयोजित करने का निर्णय लिया जाएगा तथा तदनुसार आगे बढ़ाया जाएगा

41.11.ऐसे मामले में भी, उस स्तर पर, यदि निर्णय अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने तथा संयुक्त विचारण चलाने का है, तो विचारण नए सिरे से चलाया जाएगा तथा नए सिरे से कार्यवाही की जाएगी।

41.12.यदि, ऐसी परिस्थिति में, जैसा कि पहले बताया गया है, समन किए गए अभियुक्त के मामले में पृथक सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है -

(क) मुख्य मामले में दोषसिद्धि और दण्डादेश सुनाकर निर्णय लिया जा सकता है और तत्पश्चात् समन किए गए अभियुक्त के विरुद्ध नए सिरे से कार्यवाही की जा सकती है।

(ख) दोषमुक्त किए जाने की स्थिति में, मुख्य मामले में इस आशय का आदेश पारित किया जाएगा और तत्पश्चात् समन किए गए अभियुक्त के विरुद्ध नए सिरे से कार्यवाही की जाएगी।"

15. राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने (2014) 3 एससीसी 92 में रिपोर्ट किए गए "हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य" मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: ---

"12.दं. प्र. सं. कि धारा 319 , जुडेक्स डैमनादुर कम नोसेंस एब्सोल्विटुर (न्यायाधीश को दोषी करार दिए जाने पर उसकी निंदा की जाती है) सिद्धांत से निकलती है और इस सिद्धांत का उपयोग दं. प्र. सं. कि धारा 319 के अधिनियमन के दायरे और अंतर्निहित भावना को समझाते समय एक प्रकाश स्तंभ के रूप में किया जाना चाहिए।

13. न्यायालय का कर्तव्य है कि वह वास्तविक अपराधी को दंडित करके न्याय करे।जहाँ अन्वेषण एजेंसी किसी भी कारण से वास्तविक दोषियों में से किसी को अभियुक्त नहीं बनाती, वहाँ न्यायालय उक्त अभियुक्त को विचारण का सामना करने के लिए बुलाने में शक्तिहीन नहीं है।प्रश्न यह है कि किन परिस्थितियों में और किस स्तर पर न्यायालय को दं. प्र. सं. कि धारा 319 में परिकल्पित अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए?



17. दं. प्र. सं. कि धारा 319 के तहत न्यायालय को किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने की स्वीकृति देती है जो उसके समक्ष किसी मामले में अभियुक्त नहीं है। इस प्रकार, जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी शक्तियों के प्रयोग में समन जारी किया जाता है, वह अनिवार्य रूप से पहले से ही विचारण का सामना कर रहा अभियुक्त नहीं होना चाहिए। वह या तो दण्ड प्रक्रिया संहिता कि धारा 173 के अंतर्गत दायर आरोपपत्र के कॉलम 2 में नामित व्यक्ति हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम न्यायालय के समक्ष किसी ऐसी सामग्री में प्रकट किया गया हो जिस पर अपराध के विचारण के उद्देश्य से विचार किया जाना है, लेकिन जिसकी अन्वेषण नहीं किया गया है। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी सहभागिता इंगित की जा सके और जो अपराध के किए जाने से जुड़ी हो।

38. . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कानून को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है कि चूंकि 'विचारण' का अर्थ किसी व्यक्ति के दोष या निर्दोषता का निर्णय करने वाले विवादक का निर्धारण है, इसलिए व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि उसके विरुद्ध क्या मामला है और केवल आरोप निर्धारित होने के चरण में ही न्यायालय उसे इसकी सूचना देता है, "विचारण" केवल आरोप निर्धारित होने पर ही शुरू होता है। इस प्रकार, हम न्यायालयों के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं कि किसी दायित्व प्रकरण में, संज्ञान लिए जाने पर ही विचारण शुरू होता है।

52. धर्मपाल (सीबी) मामले में, संविधान पीठ ने किशुन सिंह (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्णय को अनुमोदित किया कि सत्र न्यायाधीश के पास अभियुक्तों को समन करने की मूल शक्ति है, यह मानते हुए कि

"37..... सत्र न्यायाधीश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सौंपे जाने पर समन जारी करने के हकदार थे।

38..... धारा 193 में मुख्य शब्द हैं कि "कोई भी सत्र न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में तब तक नहीं लेगा जब तक कि मामला इस संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सुपुर्द न कर दिया गया हो।" उपर्युक्त प्रावधान में यह आवश्यक है कि किसी मामले को, सबसे पहले, मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जाना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि मामला उसे सुपुर्द किए जाने के बाद ही सत्र न्यायालय आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अपराध का संज्ञान ले सकता है। यद्यपि, यह सुझाने का प्रयास किया गया है कि धारा 193 में दर्शाया गया संज्ञान किसी अपराध के संज्ञान से नहीं, बल्कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रतिबद्धता आदेश से संबंधित है, हम धारा 193 के स्पष्ट शब्दों में इस तरह के निवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि सत्र न्यायालय उक्त धारा के तहत अपराधों का संज्ञान ले सकता है।

55. तदनुसार, हम मानते हैं कि न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता कि धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल विचारण के आगे बढ़ने और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के साथ शुरू होने के बाद और असाधारण परिस्थितियों में भी कर सकता है जैसा कि ऊपर बताया गया है।



57. इस प्रकार, जाँच के चरण में दं. प्र. सं. कि धारा 319 के प्रावधानों के अनुप्रयोग को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। दं. प्र. सं. कि धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है। जहाँ तक जाँच के दौरान इसके अनुप्रयोग का संबंध है, यह ऊपर उल्लिखित सीमा तक ही सीमित है, जिसमें उस व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में जोड़ा जाता है जिसका नाम आरोप पत्र के कॉलम 2 में उल्लिखित है या कोई अन्य व्यक्ति जो सहयोगी हो सकता है।

प्रश्न सं. (iii): क्या दं. प्र. सं. कि धारा 319(1) में प्रयुक्त शब्द "साक्ष्य" का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है और इसमें जाँच के दौरान एकत्रित साक्ष्य शामिल हैं या "साक्ष्य" शब्द केवल विचारण के दौरान दर्ज साक्ष्य तक ही सीमित है?

16. राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने आगे इसी प्रकार के दृष्टिकोण पर भरोसा किया, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "जुहरु एवं अन्य बनाम करीम एवं अन्य" मामले में (2023) 5 एससीसी 406 में प्रस्तुत किया गया था

निम्नलिखित निर्णय देते हुए: ---

"16 इस प्रकार, उद्धृत निर्णयों के संयुक्त वाचन से यह स्पष्ट होता है कि दं. प्र. सं. कि धारा 319 के अंतर्गत समन जारी करने की शक्ति का प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जाना चाहिए और एक से अधिक प्रथम दृष्टया मामलों का अस्तित्व किसी अतिरिक्त अभियुक्त को समन जारी करने के लिए अनिवार्य शर्त है। हम यह जोड़ना चाहते हैं कि दं. प्र. सं. कि धारा 319 के अंतर्गत अतिरिक्त अभियुक्त को समन जारी करने की शक्ति के बार-बार होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए, और ऊपर उल्लिखित बाध्यकारी न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप, प्रक्रियात्मक सुरक्षा यह हो सकती है कि सामान्यतः मुकदमे की शुरुआत में किसी व्यक्ति को समन जारी करने को हतोत्साहित किया जा सकता है और विचारण न्यायालय को उन व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए जिन्हें समन जारी करना है और फिर यह निर्णय करना चाहिए कि क्या ऐसी सामग्री कमोबेश उतनी ही महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है जितनी कि उन लोगों के विरुद्ध गवाही दी गई है जो पहले से ही विचारण का सामना कर रहे हैं। किसी भी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में, दं. प्र. सं. कि धारा 319 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए

6. दं. प्र. सं. की धारा 319 में उल्लिखित साक्ष्य की प्रकृति के प्रश्न पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "एस. मोहम्मद इस्पहानी बनाम योगेंद्र चांडक एवं अन्य" मामले में विचार किया गया जिसमें (2017) 16 एससीसी 226 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया ; ---

"28. जहाँ तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत न्यायालय की उन व्यक्तियों को भी उपस्थित होने और मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने की शक्ति का प्रश्न है, जिनका नाम आरोप पत्र में नहीं है, तो यह निर्विवाद है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 का उद्देश्य उन व्यक्तियों को भी शामिल करना है जो आरोप



पत्र दायर किए जाने के समय आरोपित नहीं थे, लेकिन मुकदमे के दौरान न्यायालय को लगता है कि उन्हें समन करने और विचारण का सामना करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख में आए हैं। हरदीप सिंह के मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस संबंध में एक आधिकारिक घोषणा के साथ कानून को सुलझा दिया है, जिससे इस प्रावधान की पूर्व में व्याख्या करते समय जो उलझन पैदा हुई थी, वह दूर हो गई है। जहाँ तक दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 319 के पीछे के उद्देश्य का संबंध है, न्यायालय ने नीचे दिए गए उद्देश्य पर प्रकाश डाला था।

"19. न्यायालय न्याय का एकमात्र भंडार है और कानून के शासन को बनाए रखना उसका कर्तव्य है, इसलिए हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में न्यायालयों के पास ऐसी शक्तियों के अस्तित्व को नकारना अनुचित होगा, जहाँ यह असामान्य नहीं है कि वास्तविक अभियुक्त, कभी-कभी, जाँच और/या अभियोजन एजेंसी से छेड़छाड़ करके बच निकलते हैं। विचारण से बचने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि एक अभियुक्त कई बार जाँच या पूछताछ के चरण में ही खुद को दोषमुक्त कराने का प्रयास करता है, भले ही वह अपराध के घटित होने से जुड़ा हो। "

29. साथ ही, संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल न्यायालय में दर्ज 'साक्ष्य' पर ही किया जा सकता है, न कि जाँच के चरण में एकत्रित सामग्री पर, जिसका परीक्षण पहले ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत चरण में किया जा चुका है और सीआरपीसी की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी की जा चुकी है। हरदीप सिंह के मामले में निर्धारित इस सिद्धांत को ब्रजेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में निम्नलिखित तरीके से समझाया गया है: 10. यह भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि दं. प्र. सं. कि धारा 319, जो न्यायालय को किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, जो अभियुक्त नहीं है, कार्यवाही हेतु उचित कदम उठाने के लिए सशक्त बनाने वाला एक सक्षम प्रावधान है, का प्रयोग आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद और निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है, सिवाय दं. प्र. सं. कि धारा 207/208, कमिटल आदि के चरण के दौरान, जो केवल एक पूर्व-विचारण चरण है जिसका उद्देश्य प्रक्रिया को गति प्रदान करना है।

11. हरदीप सिंह मामले में, संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर विवाद का भी निराकरण किया है कि क्या दं. प्र. सं. कि धारा 319(1) में प्रयुक्त शब्द "साक्ष्य" का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है और क्या यह जाँच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य को इंगित करता है या "साक्ष्य" शब्द परीक्षण के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य तक ही सीमित है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यह वह सामग्री है, जो न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद, किसी अपराध की जाँच या विचारण करते समय न्यायालय के पास उपलब्ध होती है, जिसका उपयोग न्यायालय किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर समन करने के लिए समर्थन कारणों के रूप में कर सकता है या विचार कर सकता है। "साक्ष्य" शब्द को इसके व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए, जाँच के चरण में और यहाँ तक कि विचारण के चरण में भी। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को समन भेजने के बाद उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति का प्रयोग उसके समक्ष प्रस्तुत किसी भी सामग्री के



आधार पर किया जा सकता है। साथ ही, इस न्यायालय ने आगाह किया कि मुकदमे के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद, ऐसी सामग्री के आधार पर जानबूझकर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना न्यायालय का कर्तव्य और दायित्व और भी कठिन हो जाता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि दं. प्र. सं. की धारा 319 के अंतर्गत "साक्ष्य" मुख्य परीक्षा भी हो सकता है और न्यायालय को ऐसे साक्ष्य के प्रति-परीक्षण तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यायालय की संतुष्टि उस अपराध में मुकदमे का सामना न कर रहे किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कारणों से प्राप्त की जा सकती है।

12. हालाँकि, विवादास्पद प्रश्न यह है कि दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए संतुष्टि की कितनी डिग्री आवश्यक है और संबंधित प्रश्न यह है कि किन परिस्थितियों में इस शक्ति का प्रयोग एफआईआर में नामित लेकिन आरोप-पत्र में शामिल न किए गए व्यक्ति के संबंध में किया जाना चाहिए। संविधान पीठ ने हरदीप सिंह मामले में भी इन दोनों पहलुओं पर विशेष रूप से विचार किया था और निम्नलिखित तरीके से उत्तर दिया था : (एस. सी. सी. पीपी. 135 और 138, कंडिका 95 और 105-106)

"95. संज्ञान लेने के समय न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या आरोपी के विरुद्ध आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत, हालाँकि प्रथम दृष्टया मामले का परीक्षण समान है, लेकिन संतुष्टि की मात्रा जो आवश्यक है वह बहुत सख्त है। विकास बनाम राजस्थान राज्य [विकास बनाम राजस्थान राज्य] में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि न्यायालय की वस्तुनिष्ठ संतुष्टि पर किसी व्यक्ति को मामले की परिस्थितियों के अनुसार "गिरफ्तार" या "सम्मन" किया जा सकता है, यदि साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त न होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उस व्यक्ति पर पहले से अभियोजित अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। 105. दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग संयम से और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहाँ मामले की परिस्थितियाँ ऐसा करने की माँग करती हैं। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है। केवल तभी जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध मजबूत और ठोस साक्ष्य प्राप्त हो, ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि लापरवाही और लापरवाही से।

106. इस प्रकार, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि यद्यपि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों से, जो आवश्यक रूप से जिरह के आधार पर परखे नहीं जाते, केवल प्रथम दृष्टया मामला ही स्थापित किया जाना है, इसके लिए उसकी संलिप्तता की मात्र संभावना से कहीं अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता है।



जो परीक्षण लागू किया जाना है वह आरोप-निर्धारण के समय प्रयुक्त प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक है, लेकिन इस सीमा तक संतुष्टि की कमी है कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि हो सकती है। ऐसी संतुष्टि के अभाव में, न्यायालय को धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। दं. प्र. सं. कि धारा 319 में, यदि "साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त न होते हुए भी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है" तो यह प्रावधान करने का उद्देश्य उन शब्दों से स्पष्ट है जिनके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। प्रयुक्त शब्द "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है" नहीं हैं। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत कार्य करने वाली न्यायालय के लिए अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।" (जोर दिया गया)

13. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हरदीप सिंह मामले में प्रतिपादित कुछ सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: दं. प्र. सं. कि धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग विचारण न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान किसी भी चरण में, अर्थात् विचारण के समापन से पहले, किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में बुलाने और चल रहे मामले में विचारण का सामना करने के लिए किया जा सकता है, जब विचारण न्यायालय को पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कुछ "साक्ष्य" हैं जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह अपराध का दोषी प्रतीत होता है। यहाँ "साक्ष्य" का अर्थ उस सामग्री से है जो विचारण के दौरान अदालत के समक्ष लाई जाती है। जहाँ तक अन्वेषण अधिकारी द्वारा जाँच के चरण में एकत्रित सामग्री/साक्ष्य का प्रश्न है, इसका उपयोग पुष्टिकरण के लिए और न्यायालय द्वारा दर्ज साक्ष्यों के समर्थन में धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए किया जा सकता है। निस्संदेह, ऐसे साक्ष्य जो मुख्य परीक्षा में, गवाहों से जिरह किए बिना, सामने आए हैं, उन पर भी विचार किया जा सकता है। हालाँकि, चूँकि यह दं. प्र. सं. कि धारा 319 के तहत न्यायालय को दी गई एक विवेकाधीन शक्ति है और एक असाधारण शक्ति भी है, इसलिए इसका प्रयोग संयम से और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहाँ मामले की परिस्थितियाँ इसकी माँग करती हों। संतुष्टि की मात्रा उस मात्रा से अधिक होती है जो उन अन्य लोगों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किए जाने के समय आवश्यक होती है जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया था। केवल तभी ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों से किसी व्यक्ति के विरुद्ध मजबूत और ठोस साक्ष्य प्राप्त हों। इसका प्रयोग लापरवाही या लापरवाही से नहीं किया जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया जो राय बनाई जानी है, उसके लिए उसकी मिलीभगत की संभावना से अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है।

17. विद्वान महाधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि धारा 319 के अंतर्गत "साक्ष्य" शब्द न्यायालय में दर्ज साक्ष्य है, न कि जाँच के चरण में एकत्रित सामग्री, क्योंकि सामग्री का परीक्षण पहले ही सीआरपीसी की धारा 190 के चरण में किया जा चुका है। उन्होंने तर्क दिया है कि "हरदीप सिंह" मामले (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में प्रयुक्त "साक्ष्य" के



विवाद पर विवाद का निराकरण कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दं. प्र. सं. कि धारा 319 में प्रयुक्त "साक्ष्य" शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है और इसमें जाँच के दौरान एकत्रित साक्ष्य शामिल हैं, या "साक्ष्य" शब्द मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य तक सीमित है। हरदीप सिंह मामले (सुप्रा) में, यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि दं. प्र. सं. कि धारा 319 के तहत "साक्ष्य" की मुख्य जाँच भी की जा सकती है और न्यायालय को ऐसे साक्ष्य के प्रति-परीक्षण तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अदालत की संतुष्टि है जो अपराध में विचारण का सामना नहीं कर रहे कुछ अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत के संबंध में अदालत द्वारा दर्ज किए गए कारणों से प्राप्त की जा सकती है। जहाँ तक दं. प्र. सं. कि धारा 319 के तहत संतुष्टि का आह्वान करने की आवश्यकता है, "हरदीप सिंह मामले (सुप्रा)" में संवैधानिक पीठ ने इसका उत्तर निम्नलिखित तरीके से दिया था:---

"95. संज्ञान लेते समय, न्यायालय को यह देखना होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। दं. प्र. सं. कि धारा 319 के अंतर्गत, यद्यपि प्रथम दृष्टया मामले का परीक्षण समान है, फिर भी संतुष्टि की अपेक्षित डिग्री कहीं अधिक कठोर है। विकास बनाम राजस्थान राज्य मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि न्यायालय की वस्तुनिष्ठ संतुष्टि के आधार पर, किसी व्यक्ति को मामले की परिस्थितियों के अनुसार 'गिरफ्तार' या 'समन' किया जा सकता है, यदि साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त न होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उस व्यक्ति पर पहले से अभियोजित अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है।

105. दण्ड प्रक्रिया संहिता कि धारा 319 के अंतर्गत शक्ति एक विवेकाधीन और एक असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग संयम से तथा केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहाँ मामले की परिस्थितियाँ इसकी अनुमति देती हैं। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है। केवल तभी जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध मजबूत और ठोस साक्ष्य प्राप्त हों, ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि लापरवाही और लापरवाही से।

106. इस प्रकार, हम यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से केवल प्रथम दृष्टया मामला ही स्थापित किया जाना है, जिसका परीक्षण आवश्यक रूप से जिरह के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी इसके लिए उसकी संलिप्तता की मात्र संभावना से कहीं अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है। जो परीक्षण लागू किया जाना है, वह आरोप-निर्धारण के समय प्रयुक्त प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक है, लेकिन इस सीमा तक संतुष्टि से कम है कि साक्ष्य, यदि अखंडित रह जाता है, तो दोषसिद्धि की ओर ले जाएगा। ऐसी संतुष्टि के अभाव में, न्यायालय को धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। धारा 319 सीआरपीसी में, यदि साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त न होने वाले किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो प्रावधान करने का उद्देश्य इन शब्दों से स्पष्ट है, "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ विचारण चलाया जा सकता है।" प्रयुक्त शब्द ऐसे नहीं हैं जिनके लिए ऐसे व्यक्ति को



दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत कार्य करने वाले न्यायालय के लिए अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।"

18. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यहाँ साक्ष्य का तात्पर्य उस सामग्री से है जो विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। जांच के चरण में जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित साक्ष्य/सामग्री का उपयोग पुष्टिकरण के लिए और न्यायालय द्वारा दर्ज साक्ष्य का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। चूँकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है और यह असाधारण है, इसलिए यह सावधानी बरती गई है कि इसका प्रयोग संयम से और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहाँ मामले की परिस्थितियाँ इसकी माँग करती हों। संतुष्टि की मात्रा आरोप निर्धारण के समय अपेक्षित मात्रा से थोड़ी अधिक है, लेकिन यह दोषसिद्धि के लिए आवश्यक साक्ष्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया राय न्यायालय को उक्त शक्ति का प्रयोग करने का आशय नहीं रखती है। हालाँकि, यदि साक्ष्य आरोप निर्धारण के चरण में लागू होने से अधिक मजबूत हैं, तो न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने का विवेकाधिकार है। उपरोक्त संदर्भ में, यदि हम आदेश के कंडिका 38, 39, 40, 41 और 42 में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष की जाँच करें, तो विद्वान विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों की बारीकी से जाँच की थी, इतना ही नहीं, विद्वान विचारण न्यायालय ने द. प्र. सं. की धारा 319 से संबंधित संपूर्ण कानून का भी सहारा लिया है। आईओ के साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से कहा था कि लगभग 250 मीटर की ऊँचाई वाली चिमनी का निर्माण घटिया सामग्री के उपयोग और उचित देखभाल और सावधानी के अभाव के कारण ढह गया है। विचारण न्यायालय ने जांच अधिकारी के साक्ष्यों पर भी विचार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उक्त चिमनी के निर्माण के लिए कानून के प्रावधानों के तहत कोई अनुमोदन या मंजूरी नहीं ली गई थी, क्योंकि इन कंपनियों ने यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था कि उनके द्वारा कोई अनुमति/अनुमोदन लिया गया था। विचारण न्यायालय ने आगे निष्कर्ष निकाला है कि चिमनी का निर्माण बाल्को कंपनी के परिसर में किया जा रहा था, जिसके निर्माण के लिए एसईपीसीओ और जीडीसीएल कंपनियों को लगाया गया था। बाल्को ने पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानकों, ड्राइंग, डिजाइनिंग और जाँच का कार्य बीवीआईएल और डीसीपीएल कंपनियों को सौंपा था। इन सभी कंपनियों ने निर्माण, शिल्प कौशल, सुरक्षा मानकों आदि पर ध्यान नहीं दिया था। विचारण न्यायालय ने आगे निष्कर्ष निकाला है कि विभिन्न स्तरों पर चिमनी निर्माण में लगी इन सभी कंपनियों ने न केवल निर्माण मानकों का उल्लंघन किया, बल्कि बिना किसी अनुमोदन के भी निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया, जिसके कारण दुर्घटनाएँ हुईं और कई लोगों की न केवल मृत्यु हुई, बल्कि उन्हें चोटें भी आईं। विद्वान विचारण न्यायालय ने आगे निष्कर्ष निकाला कि न्यायालय को यह देखना होगा कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित न किया जाए, लेकिन दोषी को भी बचना नहीं चाहिए। पूरी घटना आरोपी कंपनियों और चिमनी निर्माण में शामिल व्यक्तियों की लापरवाही को दर्शाती है। द. प्र. सं. की धारा 319 में निहित प्रावधानों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "हरदीप सिंह" केस (सुप्रा) में दिए गए निर्णय के तहत, जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, विशेष रूप से कंडिका 169 से 173 तक, इतना ही नहीं, विद्वान विचारण न्यायालय ने भी इन



10 से पूछताछ की थी और उक्त परीक्षण के दौरान प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 का उत्तर देते हुए जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि इन कंपनियों की ओर से हुई चूक के कारण यह घटना घटी। इतना ही नहीं, उनके पास अपेक्षित अनुमोदन/मंजूरी भी नहीं थी।

19. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया गया है कि पिछले भाग में जिस निर्णय का उल्लेख किया गया है, उससे एक सामान्य बात सभी निर्णयों में समान रूप से उभर कर आती है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, विद्वान विचारण न्यायालय को केवल उन्हीं साक्ष्यों पर विचार करना होता है जो उसके द्वारा दर्ज किए गए हैं। उक्त साक्ष्य प्रथम दृष्टया मामले से अधिक होना चाहिए, जिरह की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय की संतुष्टि ही मुख्य विचार है और इस प्रकार एकत्रित साक्ष्य उक्त मानक के होने चाहिए जो प्रथम दृष्टया मामले से अधिक हो। उपरोक्त प्रावधानों पर विचार करने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के तहत, ये पुनरीक्षण याचिकाएँ किसी भी प्रकार से गुण-दोष से रहित हैं और खारिज किए जाने योग्य हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिस पर इस माननीय न्यायालय को विचार करना होगा, वह यह है कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिकाएँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 और 401 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दायर की गई हैं। धारा 397 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ केवल किसी निष्कर्ष या आदेश की सत्यता, वैधता या औचित्य के संबंध में न्यायालय को संतुष्ट करने के उद्देश्य से हैं। अपील न्यायालय की तरह, पुनरीक्षण न्यायालय भी संपूर्ण साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि दं. प्र. सं. की धारा 397 और 401 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण न्यायालय केवल इसलिए आदेश को अपास्त नहीं कर सकता है क्योंकि एक अन्य दृष्टिकोण भी संभव है। जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विकृत न हो या न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित न हो या किसी भी प्रासंगिक सामग्री पर विचार न किया गया हो या रिकॉर्ड की स्पष्ट गलत व्याख्या न की गई हो, पुनरीक्षण न्यायालय केवल इसलिए आदेश को रद्द करने में न्यायोचित नहीं होगा क्योंकि एक अन्य दृष्टिकोण भी संभव है। जब तक विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विकृत न हो या न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित न हो या किसी भी सुसंगत सामग्री पर विचार न किया गया हो या रिकॉर्ड की स्पष्ट गलत व्याख्या न की गई हो, पुनरीक्षण न्यायालय आदेश को रद्द करने में न्यायोचित नहीं होगा। संपूर्ण पुनरीक्षण याचिकाओं और यहां तक कि तर्क के दौरान भी, आवेदकों का यह मामला नहीं था कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी प्रासंगिक सामग्री पर विचार नहीं किया गया था। न ही पुनरीक्षणकर्ता का यह मामला है कि आदेश किसी भी कानूनी बिंदु पर अनुचित है। केवल यही शिकायत प्रतीत होती है कि विचारण के अंतिम चरण में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की भाषा में ही यह प्रावधान है कि उक्त शक्ति का प्रयोग विचारण के किसी भी चरण में किया जा सकता है। इस विवादक पर दिए गए निर्णय विधानमंडल की मंशा को और स्पष्ट करते हैं कि अंतिम आदेश पारित करते समय भी, विचारण न्यायालय दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है



और अतिरिक्त अभियुक्त को बुला सकता है और उसके बाद यह निर्णय ले सकता है कि क्या पहले से ही विचारण का सामना कर रहे अभियुक्त के खिलाफ फैसला सुनाया जाना है या नए शामिल किए गए अभियुक्त पर अलग से विचारण चलाया जाना है। वर्तमान मामले में, साक्ष्य प्रस्तुत करने के दौरान, अन्वेषण अधिकारी का साक्ष्य, हरदीप सिंह केस (सुप्रा) के मामले में परिभाषित पर्याप्त साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, इसलिए, दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करके विचारण न्यायालय द्वारा इस्तेमाल किया गया विवेक कानून के चारों कोनों के भीतर था, विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश एक अनुचित आदेश नहीं है और न ही किसी भी सुसंगत सामग्री पर विचार न किया गया है या रिकॉर्ड को गलत तरीके से पढ़ा गया है, इसलिए, दं. प्र. सं. की धारा 397 और 401 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। पूर्वोक्त के मद्देनजर, वर्तमान पुनरीक्षण याचिकाएं योग्यता से रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं।

20. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और विचारण न्यायालय के अभिलेख का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

21. तीनों पुनरीक्षणों में चुनौती इस आधार पर दी गई है कि घटना 23.09.2009 को घटित हुई, आरोप-पत्र 04.01.2010 को दाखिल किया गया और पूरक आरोप-पत्र 08.04.2010 को दाखिल किया गया। 46 साक्षियों की जांच की गई है और अन्वेषण अधिकारी (विविक शर्मा पीडब्लू-46) की अन्वेषण के बाद, जो सामान्यतः विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जांच किए जाने वाले अंतिम अभियोजन साक्षी होते हैं, विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल आई.ओ. साक्ष्य के आधार पर दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया था और आवेदकों को इस आधार पर विचारण का सामना करने के लिए बुलाया था कि आवेदकों ने उक्त चिमनी के निर्माण से पहले संबंधित अधिकारियों से कुछ निर्माण अनुमोदन प्राप्त नहीं किए थे। 22. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319, के तहत शक्ति के प्रयोग का दायरा और मानदंड अब एकीकृत नहीं हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 3 एससीसी 92, पैरा 105-106 और हेतराम उर्फ बबली बनाम राजस्थान राज्य, 2024 एससीसी, कंडिका 7 के मामलों में निम्नानुसार व्याख्या की गई है:---

*105. दं. प्र. सं. की धारा 319, के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और एक असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग बहुत कम किया जाना चाहिए और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहाँ मामले की परिस्थितियाँ ऐसा करने की माँग करती हैं। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है। केवल तभी जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध मजबूत और ठोस साक्ष्य प्राप्त हो, ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि लापरवाही और लापरवाही से।



106. इस प्रकार, हम मानते हैं कि यद्यपि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, जिसे आवश्यक रूप से जिरह के माध्यम से परखा नहीं जाना चाहिए, इसके लिए उसकी सहभागिता की मात्र संभावना से कहीं अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता है। जो परीक्षण लागू किया जाना है वह आरोप निर्धारित करते समय अपनाए गए प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम है कि साक्ष्य, यदि अखंडित रह जाए, तो दोषसिद्धि हो सके। ऐसी संतुष्टि के अभाव में, न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में, यदि "साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त न होने वाले किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है" तो प्रावधान करने का उद्देश्य "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ विचारण चलाया जा सकता है" शब्दों से स्पष्ट है। प्रयुक्त शब्द "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है" नहीं हैं। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत कार्य करने वाले न्यायालय के लिए अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। (जोर दिया गया) हेट्राम @बबली बनाम राजस्थान राज्य, 2024 एससीसी

"7. इस न्यायालय ने हरदीप सिंह के मामले में यह टिप्पणी की है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए लागू किया जाने वाला मानदंड, प्रथम दृष्टया से कहीं अधिक है, जिस पर आरोप तय करते समय विचार किया जाना आवश्यक है। लागू किया जाने वाला मानदंड यह है कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है, तो क्या इससे दोषसिद्धि होगी। न्यायालय को ऐसे शब्दों में संतुष्टि दर्ज करनी होगी और यदि ऐसी संतुष्टि दर्ज नहीं की जा सकती है, तो न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए।

23. आक्षेपित आदेश को देखने पर, कोरबा नगर निगम और/या नगर और देश योजना विभाग से अनुमति देने मध्य किसी भी आकस्मिक संबंध का सुझाव देने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य या परीक्षण के दौरान एकत्र की गई सामग्री नहीं है। अन्वेषण अधिकारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा था कि उन्हें वास्तव में यह जानकारी नहीं थी कि आवेदकों के पास चिमनी निर्माण के लिए विभिन्न आवश्यक अनुमतियाँ थीं या नहीं। यहाँ तक कि अभियोजन पक्ष ने भवन और अन्य अनुमतियों के संबंध में गवाही देने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग या नगरपालिका प्राधिकरणों या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति के किसी गवाह का न तो उल्लेख किया और न ही उससे परीक्षा की। हालाँकि, विचारण न्यायालय ने रेस इप्सा लॉक्विटर के सिद्धांत को लागू किया है।

24. सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि रेस इप्सा लॉक्विटर का सिद्धांत आपराधिक कार्यवाही पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कार्यवाही में, अभियोजन पक्ष से अपराध के कैच तत्व तथा ऐसे प्रत्येक तत्व के साथ आरोपी के संबंध को साबित करने की उम्मीद की जाती है। **सैयद अकबर बनाम कर्नाटक राज्य, (1980) 1 एससीसी 30**, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 28, 30 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:—



"28. हमारी राय में, निम्नलिखित कारणों से, दृष्टिकोण की पहली पंक्ति, जो इस सिद्धांत को केवल अनुमेय अनुमान की तुलना में अधिक प्रभाव देती है, यह निर्धारित करके कि इस सिद्धांत का अनुप्रयोग, पहली बार में भी, प्रतिवादी पर भार को स्थानांतरित या डाल देता है, जिसे स्वयं को दोषमुक्त करने के लिए अपने विरुद्ध लापरवाही की धारणा का खंडन करना होगा, इस प्रकार, उन आपराधिक मामलों की सुनवाई में लागू नहीं किया जा सकता है जहाँ अभियुक्त पर लापरवाही या उतावलेपन से चोट पहुँचाने या मृत्यु का कारण बनने का आरोप है। आपराधिक विचारण में रेस इप्सा लोक्विटुर के इस अमूर्त सिद्धांत को लागू न करने के प्राथमिक कारण हैं: सबसे पहले, किसी आपराधिक मुकदमे में, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए आवश्यक सभी बातों को साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है, क्योंकि जब तक विपरीत सिद्ध न हो जाए, तब तक प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है, और आपराधिकता को कभी भी वैधानिक अपवाद के अधीन नहीं माना जाना चाहिए। जहाँ दुर्घटना किसी की लापरवाही की "अपनी कहानी स्वयं कहती है" वहाँ अभियुक्त के विरुद्ध लापरवाही का अनिवार्य अनुमान लगाने की आवश्यकता के द्वारा ऐसा कोई वैधानिक अपवाद नहीं बनाया गया है। दूसरे, दीवानी और आपराधिक कार्यवाहियों में साक्ष्य, अर्थात् प्रमाण, के प्रभाव में स्पष्ट अंतर होता है। सिविल कार्यवाहियों में, केवल संभाव्यता की प्रबलता ही पर्याप्त होती है, और प्रतिवादी को आवश्यक रूप से प्रत्येक उचित संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता; लेकिन आपराधिक कार्यवाहियों में, अपराध का अनुनय ऐसी नैतिक निश्चितता तक सीमित होना चाहिए जो न्यायालय के मन को, एक उचित व्यक्ति के रूप में, सभी उचित संदेहों से परे, आश्वस्त कर दे। जहाँ लापरवाही अपराध का एक अनिवार्य घटक है, अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित की जाने वाली लापरवाही दोषपूर्ण या गंभीर होनी चाहिए, न कि केवल निर्णय की त्रुटि पर आधारित लापरवाही। जैसा कि लॉर्ड एटकिन ने एंड्रयूज बनाम लोक अभियोजन निदेशक (1937) 2 ऑल ईआर एस 52:1937 एसी 576) में बताया है, "केवल लापरवाही, जो नागरिक दायित्व का गठन करेगी, पर्याप्त नहीं है"; आपराधिक विधि के तहत दायित्व के लिए "बहुत उच्च स्तर की लापरवाही साबित करने की आवश्यकता है। संभवतः, सभी विशेषणों में से 'लापरवाह' सबसे अधिक मामले को शामिल करता है"।

30. किसी तथ्य को किसी अन्य परिस्थितिजन्य तथ्य से अनुमान लगाने की सामान्य विधा के एक भाग के रूप में, रेस इप्सा लोक्विटुर की धारणा का ऐसा सरलीकृत और व्यावहारिक अनुप्रयोग, उन सभी सिद्धांतों के अधीन है, जिनकी संतुष्टि किसी अभियुक्त को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराए जाने से पहले आवश्यक है। ये हैं: सबसे पहले, दुर्घटना को जन्म देने वाली वस्तुगत परिस्थितियों सहित सभी परिस्थितियाँ, जिनसे दोष का अनुमान लगाया जाना है, दृढ़तापूर्वक स्थापित होनी चाहिए। दूसरे, उन परिस्थितियों में एक निर्णायक प्रवृत्ति होनी चाहिए जो अभियुक्त के अपराध की ओर अचूक रूप से इंगित करती है। तीसरा, दर्शाई गई परिस्थितियाँ एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनाती हैं कि वे अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना को तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकती हैं। अर्थात्, वे उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होनी चाहिए और उसके अपराध के बारे में सभी उचित संदेहों को अनुमानित रूप से बाहर कर देना चाहिए।"



नंजुंदप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 628, कंडिका 9: यहाँ सैयद अकबर बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में दिए गए कथन पर ध्यान देना उपयोगी होगा, जिसमें इस न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की थी कि रेस इप्सा लोक्विटुर स्ट्रिक्टो सेंसु का सिद्धांत किसी आपराधिक मामले पर लागू नहीं होगा क्योंकि लापरवाही से हुई क्षति के लिए कार्रवाई में इसकी प्रयोज्यता सर्वविदित है। सैयद अकबर (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था

29. किसी विवाद्यक तथ्य से दूसरे परिस्थितिजन्य तथ्य का अनुमान लगाने की सामान्य पद्धति के एक भाग के रूप में, रेस इप्सा लोक्विटुर की धारणा का ऐसा सरलीकृत और व्यावहारिक अनुप्रयोग उन सभी सिद्धांतों के अधीन है, जिनकी संतुष्टि किसी अभियुक्त को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराए जाने से पहले आवश्यक है। ये हैं: सबसे पहले, दुर्घटना को जन्म देने वाली वस्तुगत परिस्थितियों सहित सभी परिस्थितियाँ, जिनसे दोष का अनुमान लगाया जाना है, दृढ़तापूर्वक स्थापित होनी चाहिए। दूसरे, उन परिस्थितियों में एक निर्णायक प्रवृत्ति होनी चाहिए जो अभियुक्त के अपराध की ओर अचूक रूप से इंगित करती है। तीसरे, परिस्थितियों को एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए कि वे अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना को तर्कसंगत रूप से न उठा सकें। कहने का मतलब है, उन्हें उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए, तथा उसके अपराध के बारे में समस्त उचित संदेह को अनुमानित रूप से बाहर कर देना चाहिए।

25. उच्चतम न्यायालय ने सुनील भारती मित्तल बनाम एस. वी. आई. (2015) 4 एस. सी. सी. 609 के मामले में निम्नलिखित शर्तों पर निर्णय दिया है:

"38. पहला मामला जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है वह है इरिडियम इंडिया [इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड बनाम मोटोरोला इंक., (2011) 1 एससीसी 74: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1201] इस मामले के तथ्यों पर चर्चा करने से पहले, यह बताना प्रासंगिक होगा कि क्या किसी कंपनी पर ऐसे अपराध के लिए विचारण चलाया जा सकता है जिसके लिए मेन्स रीया की आवश्यकता होती है, यह प्रश्न पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (प्रवर्तन निदेशालय (2005) 4 एससीसी 530 2005 एससीसी (सीएच) 961) मामले में पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष उठाया गया था। संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि किसी कंपनी पर ऐसे अपराध के लिए विचारण चलाया जा सकता है और उसे दोषी ठहराया जा सकता है जिसके लिए न्यूनतम कारावास की सजा की आवश्यकता होती है। निर्णय के कंडिका 8 में, संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि पीठ इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है कि क्या किसी निगम को अपराध सिद्ध करने के लिए आवश्यक मेन्स रीया के साथ जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

"40. उपरोक्त से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि जो सिद्धांत निर्धारित किया गया है वह यह है कि कंपनी के "अल्टर ईगो" का आपराधिक इरादा, अर्थात् कंपनी के व्यवसाय का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत समूह,



कंपनी/निगम पर आरोपित किया जाएगा। इरिडियम इंडिया मामले [इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड बनाम मोटोरोला इंक., (2011) 1 एससीसी 74: (2010) 3 एससीसी (क्रि) 1201] में उपरोक्त निर्णय में निर्धारित विधिक प्रस्ताव यह है कि यदि कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आपराधिक इरादे से कोई अपराध करता है, तो उनकी आपराधिकता कंपनी पर आरोपित की जा सकती है क्योंकि वे कंपनी के "अल्टर ईगो" हैं।

26. विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को यह आरोप लगाते हुए तलब किया है कि चिमनी का निर्माण कथित तौर पर आवश्यक अनुमति के बिना किया जा रहा था। आक्षेपित आदेश में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष निम्नलिखित से स्पष्ट हैं:

(I) कंडिका 28 और 29 में, एलडी ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष दर्ज किया है कि जांच के दौरान यह पाया गया कि निर्माण कार्य में आवेदकों और अन्य कंपनियों द्वारा तकनीकी मापदंडों की अनदेखी करते हुए मानक नियंत्रण की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण यह घटना हुई और यही बात अदालत में आईओ [पीडब्लू-46] के बयान में भी है। इस प्रकार, अनुमति के अभाव और निर्माण के अवैध होने के संबंध में निकाला गया निष्कर्ष विकृत है और परीक्षण के दौरान दर्ज साक्ष्य के विपरीत है।

(II) कंडिका 35 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि चिमनी का निर्माण अवैध था या नहीं, इस प्रश्न की आगे जांच आवश्यक है।

(iii) कंडिका 36 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि संबंधित समय पर आवेदकों के प्रबंधन से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(IV) कंडिका 37 में, विचारण न्यायालय ने दर्ज किया है कि आक्षेपित आदेश के कंडिका 35 और 36 के संदर्भ में आगे की अन्वेषण की आवश्यकता है।

(V) आक्षेपित आदेश के कंडिका 39 में, निचली अदालत ने दर्ज किया है कि इस बात के सबूत मौजूद हैं कि चिमनी का निर्माण एक अवैध कार्य था।

(VI) कंडिका 40 में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आवेदक कंपनी के उच्च अधिकारियों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जाना आवश्यक है, जो कि उनके खिलाफ किसी अपराध या ढह गई चिमनी के निर्माण में उनकी भूमिका का खुलासा किए बिना है।

(VII) कंडिका 31 में, विचारण न्यायालय ने नोट किया है कि जांच अधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आवेदकों ने हाई-राइज़ बिल्डिंग नियमों के तहत कोई अनुमति ली थी या नहीं।



27. विचारण न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष को पढ़ने पर, ढह गई चिमनी के निर्माण में उनकी भूमिका के लिए उनके खिलाफ कोई अपराध का खुलासा नहीं हुआ है, यहां तक कि, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जांच अधिकारी ने कभी कथित रूप से आवश्यक अनुमतियों का अनुरोध किया था और ये अनुमतियां आवेदकों द्वारा प्रदान नहीं की गई थीं और संबंधित विभागों के किसी भी अधिकारी द्वारा इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आवेदकों द्वारा आवश्यक अनुमतियां प्राप्त नहीं की गई थीं। अनुमति की कथित कमी से संबंधित कोई प्रश्न पीडब्लू-47 (श्री गुंजन गुप्तल जो आवेदक बाल्को के पूर्व सीईओ थे) से नहीं पूछा गया था। वास्तव में, पी.डब्लू.-47 के बयान का आक्षेपित आदेश में उल्लेख तक नहीं किया गया है। हालांकि, इस बात का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि आवेदकों के पास निर्माण के लिए अनुमति नहीं थी, जैसा कि अभियुक्त को बुलाने के लिए न्यायिक घोषणाओं द्वारा आवश्यक है, सिवाय आईओ द्वारा दिए गए अनिश्चित और विरोधाभासी उत्तरों के, विशेष रूप से उत्तर संख्या 35 और 36 में, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कंपनी या अन्य निदेशक, सीईओ को आरोपी नहीं पाया गया।

28. आक्षेपित आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि विचारण न्यायालय इस बात पर संतुष्टि दर्ज करने में विफल रहा है कि आवेदकों के खिलाफ सबूत आरोप से अधिक लेकिन दोषसिद्धि से कम है जैसा कि दं. प्र. सं. कि धारा 319, के तहत आवश्यक है। इस मामले में, विचारण न्यायालय ने केवल जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए राय साक्ष्य के आधार पर आवेदकों को बुलाने की कार्यवाही की है। आक्षेपित आदेश में इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं है कि आवेदकों के खिलाफ दर्ज सबूत क्या है जो किसी विशेष अपराध की ओर ले जाएगा, भा.दं. सं. की धारा 304 के तहत अपराध की तो बात ही छोड़ दें। आक्षेपित आदेश इस बात पर मौन है कि अन्वेषण अधिकारी का सबूत कैसे भा.दं. सं. की धारा 304, के तहत अपराध का खुलासा करता है जिसके लिए विचारण आगे बढ़ रहा है या संबंधित नगरपालिका कानून के तहत किसी अन्य अपराध के तहत। यद्यपि दं. प्र. सं. कि धारा 165, के अंतर्गत शक्तियाँ व्यापक हैं, फिर भी ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का परिणाम सीआरपीसी की अन्य धाराओं, जिनमें दं. प्र. सं. कि धारा 319, भी शामिल है, के अनुरूप होना चाहिए, जहाँ विचारण न्यायालय को यह विश्वास होना चाहिए कि कोई विशेष अपराध किया गया है। दं. प्र. सं. कि धारा 319, के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग पर दं. प्र. सं. कि धारा 165, के अंतर्गत उठाए गए प्रश्नों के तार्किक परिणाम पर कोई चर्चा नहीं की गई है।

29. इसके अलावा, विचारण न्यायालय ने दं. प्र. सं. कि धारा 319 के तहत सख्त विधिक सीमा की अनदेखी की। विचारण न्यायालय ने 21.02.2025 के अपने आदेश के कंडिका 37 में स्पष्ट रूप से कहा कि "वर्तमान मामले में और अतिरिक्त अन्वेषण आवश्यक होगी"। यह निष्कर्ष आवेदक की दोषसिद्धि को स्थापित करने के लिए निर्णायक साक्ष्य के अभाव को रेखांकित करता है। हालाँकि, कंडिका 38 में, न्यायालय ने विरोधाभासी रूप से आवेदकों की कंपनी के विरुद्ध लापरवाही का अनुमान लगाने के लिए रेस इप्सा लोक्विटर के सिद्धांत का आह्वान किया। यह तर्क आंतरिक रूप से असंगत और विधिक रूप से अस्थिर है, क्योंकि रेस इप्सा लोक्विटर का सिद्धांत यह पूर्वधारणा करता है कि तथ्य इतने स्पष्ट हैं कि लापरवाही स्वयंसिद्ध है, जिससे आगे की जाँच



की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। एक साथ यह मानते हुए कि "अतिरिक्त अन्वेषण आवश्यक है" और रेस इप्सा लोक्विटर लागू करते हुए, विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है और उसके निष्कर्ष विकृत हैं। दूसरी ओर, विचारण न्यायालय ने यह पाया है कि आगे की जाँच की आवश्यकता है और दूसरी ओर, विद्वान न्यायालय ने दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत आवेदन को स्वीकार कर लिया है जो कि बेतुका और विकृत है और दं. प्र. सं की धारा 319 के तहत स्थापित कानूनी सिद्धांत के विपरीत है। इसलिए, इस मामले में रेस इप्सा लोक्विटर लागू नहीं होता है और जब कंपनी की कोई मेन्स रीआ नहीं है, तो आवेदकों को भा.दं. सं. की धारा 304 के तहत आरोप निर्धारित करने के लिए समन/विचारण नहीं किया जा सकता है।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को लागू करने और विचारण न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन पक्ष ने आरोप पत्र दाखिल करने के 15 वर्ष बाद, आवेदकों को दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया, 15 वर्ष के विचारण के बाद आगे की पैरवी की, यहां तक कि उच्च न्यायालय ने पहले 15.09.2023 के आदेश के तहत एक वर्ष के भीतर विचारण को समाप्त करने का निर्देश दिया था और दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत आवेदन में कोई विवरण नहीं दिया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा दायर किया गया परिवाद में बताया गया है कि आवेदकों की भूमिका किस प्रकार वाद में दर्ज साक्ष्य के आधार पर उभरी है, जिसके लिए आवेदकों को दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत तलब किया जाना आवश्यक है, इसके अलावा आवेदकों के खिलाफ इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं है कि मुकदमे के दौरान कौन से साक्ष्य आए हैं जो भा.दं. सं. की धारा 304 के तहत अपराध या भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य लागू कानून के तहत किसी अन्य अपराध के अवयवों का खुलासा करते हैं और केवल आरोप पत्र के आधार पर आईओ की राय पर भरोसा किया जाता है और विधि की सुस्थापित स्थिति के अनुसार कि एक अन्वेषण अधिकारी का साक्ष्य ठोस सबूत नहीं है, बल्कि केवल उसकी राय है, यहां तक कि उसके बयान या उससे पूछे गए प्रश्न का उत्तर किसी भी तरह से आईपीसी या आवेदकों के खिलाफ कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत किसी भी संज्ञेय अपराध के अवयवों का खुलासा नहीं करता है, यहां तक कि आक्षेपित आदेश में भी, इस बारे में कोई फुसफुसाहट नहीं है कि अन्वेषण अधिकारी के बयान से किस अपराध के होने का खुलासा किया गया है, किसी विशेष धारा या विधि का कोई संदर्भ बहुत कम है जिसके तहत अपराध का खुलासा किया गया है और वाद के अंतिम चरण में दायर किया गया अभियोग आवेदन, कार्यवाही को नए सिरे से शुरू करने के उद्देश्य से प्रतीत होता है, जिससे आवेदकों को अपूरणीय क्षति हो रही है। नए अभियुक्तों को समन करने की शक्ति के लिए, सीआरपीसी की धारा 319 के तहत, मुकदमे के दौरान पर्याप्त साक्ष्य की आवश्यकता होती है, न कि केवल संदेह या आरोप-पत्र सामग्री की। अतः, जहाँ तक वर्तमान आवेदकों का संबंध है, दं. प्र. सं. की धारा 319 के तहत आदेश पारित करके विचारण न्यायालय ने एक गंभीर अवैध त्रुटि की है। अतः, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.02.2025 का आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।



31. तदनुसार,वर्तमान तीन दायित्व पुनरीक्षणों को स्वीकृति दी जाती है और उनका निराकरण किया जाता है
32. यहां यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि ऊपर की गई टिप्पणियां केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता कि धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार और अपने स्वयं के गुण-दोष के आधार पर और उसके समक्ष रखे जाने वाले साक्ष्य के आधार पर वाद का निर्णय करने और निराकरण करने के उद्देश्य से हैं।
33. इस आदेश की एक प्रति आवश्यक अनुपालन तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु संबंधित निचली न्यायालय को भेजी जाए।

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक



*प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और
कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

